

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 618]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 नवम्बर 2010—अग्रहायण 9, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2010

क्र. (25) एफ. बी-1-09-2010-2-पांच.—यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश बीयर तथा मद्य नियमों में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में बिना पूर्व प्रकाशन के तत्काल किए जाना चाहिए;

अतएव, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खण्ड (क), (घ), (ङ), (च), (छ) तथा (ज) और उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश बीयर तथा मद्य नियमों में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में, खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(झ क) “प्रत्यायोजित अधिकारी” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्यायोजित किया गया अधिकारी;”

2. नियम 4 में, उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(3) आबकारी आयुक्त, उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ-साथ, समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् या ऐसी और जांच जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् प्ररूप ख-3/ख-3-क में, अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा या अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इंकार कर सकेगा.”

3. नियम 18 में, उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(4) मद्य विनिर्माण शाला से फुटकर विक्रय तथा वास्तविक आगंतुकों को चखने के लिये दी जा सकेगी.”

4. प्ररूप ख-3 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“प्ररूप ख-3
(नियम 4(3) देखिए)
बीयर विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्ति

मध्यप्रदेश बीयर तथा मद्य नियम के नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन और मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किए गए आशय-पत्र क्रमांक..... के अनुसरण में श्री..... को रुपये वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का पूर्व भुगतान करने पर उसके/उनके..... स्थित तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट मद्य विनिर्माण शाला में से तक की कालावधि के दौरान बीयर का विनिर्माण तथा बोतल भराई करने हेतु उसे/उन्हें प्राधिकृत करते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, एतद्वारा, यह अनुज्ञप्ति दी जाती है, अर्थात् :—

1. अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए नियमों के उपबंधों, इस अनुज्ञप्ति की शर्तों तथा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश जारी किये गये समस्त निदेशों का पालन करेगा.
2. अनुज्ञप्तिधारी, प्रस्तावना में अधिकथित कालावधि में दौरानलीटर के अधिकतम वार्षिक उत्पादन के अनुरूप मात्रा से अधिक मात्रा में बीयर का विनिर्माण नहीं करेगा.
3. अनुज्ञप्तिधारी, बीयर के विनिर्माण के लिए उन्हीं सामग्रियों या संघटकों का उपयोग करेगा तथा उसी विनिर्माण प्रक्रिया को अंगीकृत करेगा जो राज्य सरकार द्वारा आशय-पत्र जारी करते समय अनुमोदित की जा चुकी है.
4. अनुज्ञप्तिधारी, केवल उसी बीयर की बोतलों में भराई करेगा जो अनुज्ञप्त परिसर में विनिर्मित की गई हैं.
5. अनुज्ञप्तिधारी, विहित दर पर बोतल भरने की फीस का संदाय करेगा.
6. अनुज्ञप्तिधारी, बोतलों/आधानों पर केवल ऐसे लेबलों का ही उपयोग करेगा जो आबकारी आयुक्त के यहां रजिस्ट्रीकृत हैं
7. बोतल में भरी हुई बीयर व्यवस्थित रीति से लेबल के अनुसार तथा बैच के अनुसार स्टक की जायेगी.
8. अनुज्ञप्तिधारी, बोतल-भण्डारकक्षों के मध्य तथा उसकी दीवारों के साथ-साथ मद्य के स्टक के सत्यापन तथा मुक्त आवागमन के लिए पैकेजों से रहित सुगम गलियारा छोड़ेगा.
9. अनुज्ञप्तिधारी, विनिर्मित बोतलों में भरी हुई या भण्डारित बीयर को तनु या अपमिश्रित नहीं करेगा.
10. अनुज्ञप्तिधारी, किन्हीं भी परिस्थितियों में, किसी भी ऐसी रीति से ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो सरकार के राजस्व हितों के प्रतिकूल हो.
11. पूर्वोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के भंग होने पर, आबकारी आयुक्त द्वारा यह अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द की जा सकेगी.

अनुसूची

स्थल का विवरण (1)	अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएं			
	उत्तर (2)	पूर्व (3)	दक्षिण (4)	पश्चिम (5).''

5. प्ररूप ख-3 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“ प्ररूप ख-3-क
[नियम 4(3) देखिए]
मद्य विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्ति

मध्यप्रदेश बीयर तथा मद्य नियम के नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन और प्रत्यायोजित अधिकारी द्वारा जारी गिये गये आशय-पत्र क्रमांक के अनुसरण में श्रीको रुपयेवार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का पूर्व भुगतान करने पर उसके/उनके..... स्थित तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट विनिर्माण शाला में सेतक की कालावधि के दौरान मद्य का विनिर्माण तथा बोतल भराई करने के साथ ही मद्य का विक्रय करने तथा उसके चखे जाने को अनुज्ञात करने हेतु उसे/उन्हें प्राधिकृत करते हुए; निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्द्वारा, यह अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है, अर्थात् :-

1. अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम उसके अधीन बनाए नियमों के उपबंधों, इस अनुज्ञप्ति की शर्तों तथा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश तथा उसके द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारी द्वारा जारी किये गये समस्त निदेशों का पालन करेगा.
2. अनुज्ञप्तिधारी, प्रस्तावना में अधिकथित कालावधि के दौरानलीटर के अधिकतम वार्षिक उत्पादन के अनुरूप मात्रा से अधिक मात्रा में मद्य का विनिर्माण नहीं करेगा.
3. अनुज्ञप्तिधारी, मद्य के विनिर्माण के लिए उन्हीं सामग्रियों या संघटकों का उपयोग करेगा तथा उसी प्रक्रिया को अंगीकृत करेगा जो प्रत्यायोजित अधिकारी द्वारा आशय-पत्र जारी करते समय अनुमोदित की जा चुकी है.
4. अनुज्ञप्तिधारी, केवल उसी मद्य की बोतलों में भराई करेगा जो अनुज्ञप्त परिसर में विनिर्मित की गई हैं.
5. अनुज्ञप्तिधारी, विहित दर पर बोतल भरने की फीस का संदाय करेगा.
6. अनुज्ञप्तिधारी, बोतलों/आधानों पर केवल ऐसे लेबलों का ही उपयोग करेगा जो आबकारी आयुक्त के यहां रजिस्ट्रीकृत हैं.
7. बोतल में भरी हुई मद्य का व्यवस्थित रीति में लेबल के अनुसार तथा बैच के अनुसार स्टॉक किया जायेगा.

8. अनुज्ञप्तिधारी, बोटल-भण्डारकक्षों के मध्य तथा उसकी दीवारों के साथ-साथ मद्य के स्टॉक के सत्यापन तथा मुक्त आवागमन के लिए पैकेजों से रहित सुगम गलियारा छोड़ेगा.
9. अनुज्ञप्तिधारी, उसकी विनिर्माण शाला में विनिर्मित मद्य को, उसके वास्तविक आगंतुकों को चखने की अनुमति दे सकेगा. इस मात्रा की उच्चतम सीमा राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, नियत की जायेगी.
10. अनुज्ञप्तिधारी, आगंतुकों को विनिर्माण शाला में उत्पादित मद्य का विक्रय, मद्य की फुटकर विक्रय सीमा को ध्यान में रखते हुए कर सकेगा.
11. अनुज्ञप्तिधारी, उपभोग तथा विक्रय का रिकार्ड आगन्तुकवार/तारीखवार संधारित करेगा.
12. अनुज्ञप्तिधारी, विनिर्मित बोटलों में भरी हुई या भण्डारित मद्य को तनु या अपमिश्रित नहीं करेगा.
13. अनुज्ञप्तिधारी, किन्हीं भी परिस्थितियों में, किसी भी ऐसी रीति से ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो सरकार के राजस्व हितों के प्रतिकूल हो.
14. पूर्वोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के भंग होने पर, प्रत्यायोजित अधिकारी द्वारा यह अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द की जा सकेगी.

दिनांक

प्रत्यायोजित अधिकारी

अनुसूची

स्थल का विवरण (1)	पता (2)	अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएं			
		उत्तर (3)	पूर्व (4)	दक्षिण (5)	पश्चिम (6)
1. विनिर्माण शाला					
2. परीक्षण तथा विक्रय परिसर."					

टिप्पण.—यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2009 से प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर, 2010

क्र. (25) बी-1-09-2010-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की, अधिसूचना क्र. (25) बी-1-09-2010-2-पांच, दिनांक 30 नवम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 30th November, 2010

(25) F. No.-B-1-09-2010-2-V.—Whereas the State Government considers it necessary that the following amendment in the Madhya Pradesh Beer and Wine Rules should be made at once without previous publication in the official Gazette;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (a), (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) and proviso to sub-section (3) of section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Beer and Wine Rules, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 2, after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:—

"(ia) "Delegated officer" means an officer delegated by the State Government for specific purposes;"

2. In rule 4, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) The Excise Commissioner after taking into consideration the report of the Committee along with the documents specified in sub-rule (2) or after making such further enquires as he deems necessary, may grant the licence in Form B-3/b-3-A or may refuse to grant the licence."

3. In rule 18, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(4) Wine may be issued from manufactory for retail sale and testing to bonafied visitors."

4. For Form B-3, the following Form shall be substituted, namely :—

"FORM B-3

[See rule 4(3)]

LICENCE FOR THE MANUFACTURE OF BEER

Under sub rule (3) of rule 4 of the Madhya Pradesh Beer and Wine Rules and in pursuance of Letter of Intent No.....issued by the Government of Madhya Pradesh, Commercial Tax Department, this licence is hereby granted on a prepayment of annual licence fee of Rs.....toauthorising him/it to manufacture and bottle beer at his/its brewery situated atand specified in the Schedule below, during the period from to subject to following conditions, namely :—

1. The licensee shall abide by the provisions of the Act, rules made thereunder, conditions of this licence and all directions issued by the Excise Commissioner, Madhya Pradesh.
2. The licensee shall not manufacture beer exceeding the quantity corresponding to maximum annual production ofliter during the period mentioned in the preamble.
3. The licensee shall use the same materials or ingredients and adopt the same process of manufacturing beer as have been approved by the State Government while issuing letter of intent.
4. The licensee shall bottle only that beer which has been manufactured at the licensed premises.
5. The licensee shall pay the bottling fee at prescribed rate.
6. The licensee shall use only such labels on bottles/containers as are registered with the Excise Commissioner.

7. Bottled beer shall be stocked label-wise and batch-wise in an orderly manner.
8. The licensee shall leave an accessible passage free of packages containing beer in the middle as well as along the walls of the bottle store room to facilitate free movement and verification of stock.
9. The licensee shall not dilute or adulterate beer manufactured, bottled or stored.
10. The licensee shall under no circumstances, act in any manner prejudicial to the interests of Government revenue.
11. On breach of any of the aforementioned conditions, this licence may be suspended or cancelled by the Excise Commissioner.

Dated.....

EXCISE COMMISSIONER
MADHYA PRADESH

SCHEDULE

DESCRIPTION OF THE SITE	Boundaries of the Licensed Premises			
	North (2)	East (3)	South (4)	West (5).”.
(1)				

5. After Form B-3, the Following Form shall be inserted, namely :—

FORM B-3-A

[See rule 4(3)]

LICENCE FOR THE MANUFACTURE OF WINE

Under sub rule (3) of rule 4 of the Madhya Pradesh Beer and Wine Rules and in pursuance of Letter of Intent No.....issued by the delegated Officer....., this licence is hereby, granted on a prepayment of annual licence fee of Rs.....to authorising him/it to manufacture and bottle as well as to allow testing and sale of Wine at his/its manufactory situated atand specified in the Schedule below, during the period from to subject to the following conditions, namely :—

1. The licensee shall abide by the provisions of the Act, rules made thereunder, conditions of this licence and all directions issued by the Excise Commissioner, Madhya Pradesh and delegated Officer.
2. The licensee shall not manufacture wine exceeding the quantity corresponding to maximum annual production oflitre during the period mentioned in the preamble.
3. The licensee shall use the same materials or ingredients and adopt the same process of manufacturing Wine as have been approved by the Delegated Officer while issuing letter of intent.

4. The licensee shall bottle only that wine which has been manufactured at the licensed premises.
5. The licensee shall pay the bottling fee at prescribed rate.
6. The licensee shall use only such labels on bottles/containers as are registered with the Excise Commissioner.
7. Bottled wine shall be stocked label-wise and batch-wise in an orderly manner.
8. The licensee shall leave an accessible passage free of packages containing wine in the middle as well as along the walls of the Bottle-store room to facilitate free movement and verification of stocks.
9. The licensee may allow testing of wine produced in the manufactory to its bonafide visitors. The Upper limit of this quantity shall be fixed by the State Government from time to time.
10. The licensee may sell wine produced in the manufactory to the visitors keeping in mind the limit of retail sale of wine.
11. The licensee will maintain a record of the consumption and sale, visitor-wise date-wise.
12. The licensee shall not dilute or adulterate wine manufactured, bottled or stored.
13. The licensee shall under no circumstances, act in any manner prejudicial to the interests of the Government revenue.
14. On breach of any of the aforementioned conditions, this licence may be suspended or cancelled by the Delegated Officer.

Dated.....

Delegated Officer

SCHEDULE

DESCRIPTION OF THE SITE (1)	Address (2)	Boundaries of the Licensed Premises			
		North (3)	East (4)	South (5)	West
1. Manufactory 2. Testing and Sale Premises".					

Note.—This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2009.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. Yadav, Addl. Secy.